(57) 03-08-18

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0, गया।

(70)

सकारण आदेश

गया जिला अन्तर्गत कार्यरत परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) मो० ईरशाद एवं अन्य के विरूद्ध दिनांक 27.06.18 को मगध मेडिकल थाना में प्राथमिकी संख्या 163/18 दर्ज किया गया। यह प्राथमिकी श्री राजेन्द्र कुमार, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नगर, गया, पिता– स्वर्गीय रामजन्म सिंह, ग्राम–हरपुरा, थाना–विक्रम, जिला–पटना के द्वारा थानाध्यक्ष, मगध मेडिकल थाना गया को समर्पित आवेदन पर दर्ज हुआ है। उक्त आवेदन में मुख्यतः मो० ईरशाद, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य), गया के ट्रक संख्या UP-66C-9799, HR-38S-2805 तथा BR-2G-261 पर भारतीय खाद्य निगम के लदे अनुदानित खाद्यान्न की कालाबाजारी के उद्देश्य से गीता सर्विस स्टेशन पेट्रोल पम्प के परिसर में छिपा कर रखे जाने का आरोप लगाया गया है। उक्त प्राथमिकी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7, भा०द०वि० की धारा 120(B), 420 एवं 34 के तहत डिपो प्रबधक, भारतीय खाद्य निगम, गया, श्री हरेराम चौधरी, सहायक प्रबंधक–सह–उठाव प्रभारी, राज्य खाद्य निगम, गया, मो० ईरशाद, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य), राज्य खाद्य निगम, गया, श्री संजीव कुमार, सहायक प्रबंधक, TPDS गोदाम, भुसुण्डा, श्री जानकी शरण, सहायक प्रबंधक, TPDS गोदाम, टनकुप्पा, ट्रक मालिक एवं चालक(अज्ञात) एवं श्री संजीव कुमार, IT Manager 4G, गया के विरूद्ध आरोप दर्ज की गयी है। उक्त प्राथमिकी के आलोक में जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 5215 दिनांक 04.07.18 द्वारा निगम मुख्यालय, पटना को एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में निगम मुख्यालय के द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आलोक में निगम मुख्यालय के पत्रांक 7422 दिनाक 21.07.18 के माध्यम से जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को प्रेषित पत्र के द्वारा इंगित किया गया की एकरारनामा के शर्तों तथा एकरारनामा को कंडिका 4 की उप कंडिका (d), (e), (f) तथा (g) में वर्णित प्रावधानों के तहत मो० ईरशाद, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) का एकरारनामा रद्द करने, बैंक गारंटी एवं Security Money जब्त कर काली सूची में नाम दर्ज करने का प्रावधान है तथा यह भी निदेशित किया गया है कि मो० ईरशाद, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य), गया के विरूद्ध निहित प्रावधानों के तहत काली सूची में नाम दर्ज करने हेतु जिला परिवहन समिति की अनुशंसा प्राप्त कर सकारण आदेश पारित करने की कार्रवाई की जाय। उक्त निगम निदेश के अनुपालन में एतद् द्वारा सकारण आदेश पारित किया जा रहा है।

16.08.18

उपर वर्णित दर्ज की गयी प्राथमिकी के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 763 दिनांक 19.07.18 के द्वारा एकरारनामा के शर्तों की कंडिका 4 के उप कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों के तहत एकरारनामा रद्द करने, बैंक गारंटी एवं Security Money जब्त करते हुए काली सूची में नाम दर्ज करने के संदर्भ में मो० ईरशाद, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। मो० ईरशाद के द्वारा दिनांक 28.07.18 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण में अपने बचाव के पक्ष में उनके द्वारा दिनांक 25.06.18 को भारतीय खाद्य निगम, गया से उठाव किया गये सभी 72 ट्रकों को GPS एवं Load Shell युक्त बताया गया एवं खाद्यान्न को निगम के निर्दिष्ट गोदामों पर उसे ससमय खाली(Unload) किये जाने का दावा किया गया उनके द्वारा प्राथमिकी में दर्ज ट्रकों का Tracking Report एवं खाद्यान्न आपूर्ति किये जाने का साक्ष्य अर्थात् संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्ति रसीद संलग्न किया गया है।

मो० ईरशाद, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) के द्वारा अपने बचाव में इस तथ्य को प्रमुखता से रखा गया है कि प्राथमिकी में दर्ज वाहन उनका नहीं है। इसके साक्ष्य के रूप में दिनांक 25.06.18 को GPS कम्पनी MSD Traqmatix को प्रेषित पत्र संलग्न किया गया है, जिसके द्वारा उनके अनुबंध अन्तर्गत 8 वाहनों(ट्रकों) को जिसमें प्राथमिकी में दर्ज सभी 3 ट्रक भी सम्मिलित है, को उनके

Account से हटाने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि प्राथमिकी में दर्ज सभी ट्रक के मालिक श्री मोती यादव, पिता– छोटन यादव, ग्राम–खुरार, थाना–बोधगया है तथा उनके द्वारा खाद्यान्न के स्वामित्व एवं विमुक्ती हेतु एक याचिका CWJC 72773/2018 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया है। इसी संदर्भ में मो० ईरशाद के द्वारा निगम मुख्यालय को समर्पित प्रोजेक्ट मैनेजर, 4जी० आईडेंटिटी सौल्यूशन का जाँच प्रतिवेदन भी संलग्न किया गया है। उसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मो० ईरशाद के द्वारा GPS कम्पनी MSD Traqmatix को वाहनों को हटाने संबंधी पत्र दिनांक 26.06.18 को दिया गया है, न कि दिनांक 25.06.18 को। प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित है कि यह घटना के पश्चात् अपने बचाव के लिए मो० ईरशाद के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया है। अतः मो० ईरशाद का यह दावा कि घटना की तिथि को प्राथमिकी में दर्ज ट्रक उनके अनुबंध में नहीं थी अर्थात् उनका नहीं है, मान्य योग्य नहीं है। यहाँ से अंकित किया जाना आवश्यक है कि मो० ईरशाद द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गया को इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी, जो उनके मंशा को स्पष्ट करता है।

दर्ज प्राथमिकी के आलोक में जिला पदाधिकारी, गया की अध्यक्षता में दिनांक 30.07.08 को जिला परिवहन समिति की बैठक अनुबंध के शर्तों एवं प्रावधानों के आलोक में परिवहन अभिकर्त्ता(मुख्य) के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई हेतु निर्णय करने हेतु संपन्न हुई। उक्त बैठक में सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सम्यक् विचारोपरान्त जिला परिवहन समिति गया के द्वारा मो० ईरशाद, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) को दर्ज प्राथमिकी के संदर्भ में प्रथम दृष्टया खाद्यान्न की कालाबजारी के उद्देश्य से सरकारी अनुदानित खाद्यान्न के विचलन का दोषी पाते हुए (क) एकरारनामा को दिनांक 01.08.18 के प्रभाव से रद्द करने (ख) मो० ईरशाद को अगले पाँच वर्षो के लिए परिवहन अभिकर्त्ता की काली सूची में नाम दर्ज करने तथा (ग) मो० ईरशाद द्वारा जमा की गयी जमानत एवं बैंक गारंटी की राशि को जब्त करने के लिए जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गया को आवश्यक आदेश पारित करने का सर्वसम्मति से अनुशंसा की गयी।

दिनांक 30.07.18 को संपन्न जिला परिवहन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुशंसा के आलोक में एकरारनामा की कंडिका 4 (d), (e), (f) एवं (g) में निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है:–

1. मो० ईरशाद, पुत्र– मो० लुकमान, ग्राम–परियों, पोस्ट–परियों, थाना–बिहटा, जिल–पटना द्वारा किये गये एकरारनामा को दिनांक 01.08.18 के प्रभाव से रद्द किया जाता है।
2. मो० ईरशाद, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) को अगले 5 वर्षों के लिए परिवहन अभिकर्त्ता को काली सूची मे डाला जाता है एवं किसी भी निविदा में भाग लेने के लिये प्रतिबंधित किया जाता है।
3. मो० ईरशाद, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य), गया द्वारा जमा की गयी राशि (रू० दस लाख) बैंक ड्राफ्ट के रूप में एवं बैंक गारंटी की राशि (रू० बीस लाख) को जब्त किया जाता है।

31/7/18

जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,गया।

ज्ञापांक.......818......./दिनांक.....31.07.2018.....

प्रतिलिपिः—मो० ईरशाद, परिवहन—सह—हथालन अभिकर्त्ता(मुख्य), गया, पुत्र— मो० लुकमान, ग्राम—परियों, पोस्ट—परियों, थाना—बिहटा, जिल—पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, गया/डिपो मैनेजर, भारतीय खाद्य निगम, कटारी हिल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—जिला आपूर्ति पादाधिकारी, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—उठाव प्रभारी, राज्य खाद्य निगम, गया/सभी सहायक प्रबंधक TPDS एवं CMR को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—जिला परिवहन समिति, गया के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—उप महाप्रबंधक, (परिवहन), निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—सभी जिला पदाधिकारी, बिहार की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

31/7/18

जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,गया।